न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर
अपील सूचना अधिकार संख्या 19/2024

(GCMS 2024/33)

सुशील कुमार पुत्र श्री कर्म चन्द, गांव ददवान, पोस्ट ऑफिस धारीवाल, जिला गुरदासपुरा, पंजाब पिन – 143519

बनाम

तहसीलदार (राजस्व), पदमपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

28.08.2024

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी सुशील कुमार को बार–बार आवाज़ लगाई गई किन्तु वह उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने तहसीलदार (राजस्व), पदमपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र दिनांक 16.01.2024 को प्रस्तुत कर एक बिन्दु की सूचना चाही थी। जो तहसीलदार (राजस्व), पदमपुर उसे आज दिनांक तक उपलब्ध नहीं करवाई है। इसलिए उसने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत वांछित सूचना उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील पेश की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी सुशील कुमार ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 16.01.2024 के द्वारा तहसीलदार (राजस्व), पदमपुर से निम्न एक बिन्दु की सूचना चाही थी:

1.	Please give me full certified copy of Registered, Register Scheduled Caste Certificates issued by Tehsildar (Mathura Parishad Bisha) Padampur from [illegible] 09.1966 to 15.07.1968

तहसीलदार (राजस्व), पदमपुर [illegible] पत्रांक आरटीआई/2024/62 दिनांक 24.04.2024 से अपील का जवाब निम्न[illegible]सार प्रेषित किया है:

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.09.11 15:15:43 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

> उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में निवेदन है कि अपीलार्थी श्री सुशील कुमार द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र इस कार्यालय को प्राप्त हुआ था जिसमें संबंधित सूचना इस कार्यालय के पत्र क्रमांक विविध/2024/31 दिनांक 19.02.2024 द्वारा प्रार्थी को भिजवाई जा चुकी है। प्रति संलग्न है।
>
> रिपोर्ट श्रीमान्जी की सेवा में सादर प्रेषित है।
>
> संलग्न : उपरोक्तानुसार
>
> -sd-
> तहसीलदार (राजस्व)
> पदमपुर

तहसीलदार (राजस्व), पदमपुर ने अपने पत्रांक विविध/2024/31 दिनांक 19.02.2024 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब दिया है:

> आप द्वारा चाही गई सूचना से सम्बन्धित रिकॉर्ड बहुत पुराना होने के कारण रिकॉर्ड को ढूंढने हेतु दिनांक 07.02.2024 को एक कमेटी का गठन किया गया था। कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार उक्त रिकॉर्ड जिस कमरें में रखा गया था, उसमं भारी बरसात के कारण पानी भर जाने से रिकॉर्ड नष्ट हो गया है। अतः उक्त सूचना उपलब्ध करवाना संभव नहीं है।
>
> -sd-
> तहसीलदार (राजस्व)
> पदमपुर

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि तहसीलदार (राजस्व), पदमपुर ने अपीलार्थी को उक्तानुसार जवाब [illegible] किया है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर **लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए।** सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.09.11 15:15:43 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

मत दे सकते है। **लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है।** सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। **इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते।** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त ''सूचना'' का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। **इसप्रकार तहसीलदार (राजस्व),पदमपुर द्वारा अपील का जो जवाब दिया है, वह सही है, जिसमें किसी प्रकार के** हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है **परन्तु उनके द्वारा अपीलार्थी को किस स्थान पर जवाब प्रेषित किया गया है, का अंकन नहीं है।** इसलिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की भावनाओं को देखते हुए तहसीलदार (राजस्व), पदमपुर को आदेशित किया जाता कि वे अपीलर्थी को पुनः जवाब भिजवाना सुनिश्चित करें।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति तहसीलदार (राजस्व), पदमपुर को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 28.08.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.09.11 15:45:43 IST
Reason: SelfAttested